पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

टेंगरवाड़ा

ग्राम पंचायत - कवालिया दरा
तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा
जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - टेंगरवाड़ा गांव लगभग 150 वर्ष पहले एक आदमी ने बसाया था, जिनका नाम नापा डोडियार था। गांव की जमीन पर उस समय जंगल था। वह जंगल में आकर बस गये। लगभग दो-ढाई साल तक वह पत्नी के साथ अकेले जंगल में रहे। अकेले रहने में उनको डर लगता था, इसलिए उन्होंने पाला घाटिया नाम के एक व्यक्ति को बुलाया। कुछ समय बाद पाला घाटिया ने अपने स्वजनों और घाटिया उपजाति के अन्य लोगों के बुला लिया। पाला घाटिया ने नापा डोडियार को टेका (सहारा) दिया था। टेका शब्द से ही गांव का नाम टेंगरवाड़ा पड़ गया। धीरे-धीरे वहां अन्य लोग भी आते गये और पूरा गांव बस गया। टेंगरवाड़ा गांव के पाना महूड़ी में एक अंबे मैया का मंदिर है। आज भी नापा डोडियार और पाला घाटिया के नाम पर डोडियार फला और घाटिया फला है ।

गांव का परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 54 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में टेंगरवाड़ा गांव बसा हुआ है, जिसकी ग्राम पंचायत कवालिया दरा और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में कुल घरों की संख्या लगभग 200 और गांव की आबादी लगभग 1200 है। गांव में दो फले डोडियार फला और घाटीया फला हैं। गांव में गांव-सभा का गठन और शिलालेख 25-9-2015 को हुआ था। वागड़ मजदूर किसान संगठन डूंगरपुर द्वारा समय-समय पर पेसा शक्तियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम और सम्मेलन इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के कारण गांव के कुछ लोगों को पेसा कानून की जानकारी है। गांव की जमीन पहाड़ियों की ढलान वाली, ऊबड़-खाबड़, पथरीली और असमतल है। गांव में कुछ ही जमीन समतल है। गांव में आदिवासियों में डोडियार, डामोर, मोडिया, घाटिया, कलासुआ और गमेती उपजातियां निवास करती हैं। आदिवासियों के अतिरिक्त गांव में अन्य किसी जाति के लोग नहीं हैं। गांव का रकबा करीब 1481 बीघा है, जिसमें लगभग 775 बीघा कृषि भूमि, 181 बीघा बेनामी भूमि एवं 121 बीघा चरागाह भूमि और 404 बीघा जंगल की भूमि है। गांव की जमीन पर सिंचाई के साधनों की कमी एवं पहाड़ियों वाले और असमतल होने के कारण लोग बरसात में होने वाली एक ही फसल ले पाते हैं। अधिक बारिश अथवा सूखा पड़ने की स्थिति में वह भी बर्बाद हो जाती है। गांव में पहाड़ियों के तलहटी की जमीन पर कुछ लोगों के पास सिंचाई के साधन हैं, जिसके चलते वह दो फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। गांव के अधिकांश लोगों को 4 से 6 महीने खाने भर का अनाज ही फसल से मिल पाता है। वर्ष के शेष महीनों के लिए उन्हें अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है। गांव में कृषि के अतिरिक्त मनरेगा में मजदूरी ही एकमात्र आजीविका का साधन है। मनरेगा में मजदूरी का काम लगभग 70-80 दिन ही मिलता है है और भुगतान भी 100 रुपए प्रतिदिन से कम ही मिल पाता है। मनरेगा से उनकी आजीविका नहीं चल पाती है, इसलिए गांव के लोग खुली मजदूरी करने के लिए आस-पास के गांव में और गुजरात के छोटे-मोटे शहरों में जाते हैं। वहां भी महीने में 20 दिन से अधिक काम नहीं मिल पाता है। जब मजदूरी का भुगतान की राशि लोगो की जेब में आती है, तो घर में दाल अथवा सब्जी आती है। अन्यथा मिर्ची की चटनी और छाछ(मट्ठा) से रोटी खाकर भूख बुझानी पड़ती है। गांव के जंगल किसी जमाने में हरे-भरे और फलदार वृक्षों से लदे हुए हुआ करते थे, लेकिन जब से जंगल वन विभाग के कब्जे में गए हैं, तब से देख-रेख के अभाव में वन उजड़ गए हैं। वर्तमान में जंगल में सागवान, टिमरू, आम और नीम आदि के पेड़ बचे हुए हैं। गांव में दो प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें 109 विद्यार्थी हैं, जिनको कुल 4 शिक्षक पढ़ाते हैं। गांव के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी और भवन की छत से पानी टपकने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध पीने के पानी की कमी और खेल का मैदान नहीं होना एवं शिक्षण सामग्री के अभाव तथा शौचालय में पानी की

कमी आदि के चलते विद्यालय में शिक्षा का माहौल ही नहीं बन पाता है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बच्चों का ज्ञान कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है। स्कूल में खेल का मैदान समतल नहीं होने के कारण खेलकूद से होने वाला शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है।

गांव में एक आंगनवाड़ी है, जिनका भवन जर्जर अवस्था में है। उसकी छत से पानी टपकता है। आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषाहार के ठीक नहीं होने से और उसके अनियमित वितरण के चलते गांव की कुछ बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। बच्चों को घर पर भी संतुलित भोजन नहीं मिलने से कुपोषण की यह समस्या बढ़ती जा रही है। गांव की कुछ किशोरी बालिकाओं और गर्भवती माताओं को पोषण में आयरन नहीं मिलने से वे एनीमिया(खून की कमी/रक्तअल्पता) से पीड़ित हैं। खून की कमी और समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के कारण कभी-कभी गर्भवती माता की प्रसव के दौरान रक्तस्त्राव से मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। गांव में उपचार की कोई सुविधा नहीं है। गांव का निकटतम सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र तलैया में है, जो 6-8 किलोमीटर दूर है। गांव में रास्ते ऊबड़-खाबड़ और पथरीले हैं। गांव के फलों से मुख्य सड़क तक कई बार गंभीर मरीजों को चिकित्सालय ले जाने के लिए झोली में डालकर अथवा चारपाई पर लाना पड़ता है। कुछ गम्भीर बीमारियों में रास्ता ऊबड़-खाबड़ और खराब होने से आवागमन में असुविधा होने के कारण चिकित्सा मिलने से पहले मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। टीकाकरण और दवाई वितरण जैसी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से टेंगरवाड़ा के गांववासी आजादी के लगभग 72 साल बाद भी दूर है। गांव में पशु चिकित्सालय भी नही है। पिछले वर्ष गांव के एक व्यक्ति को जंगली जानवर (शायद जंगली कुत्ते/सियार) ने काट लिया था और रेबीज का टीका नहीं लगने के चलते रेबीज बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। गांव में डायन प्रथा आज भी प्रचलित है लेकिन बाहर के अनजान व्यक्ति के सामने गांव के लोग यह स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे अगर उनसे चर्चा की जाए तो वे बतलाते हैं कि फलां घर में अमुक औरत डायन है और उसके हाथ की कोई चीज गांव के अन्य लोग नहीं लेते हैं। एक तरह से वह अघोषित रूप से समाज से बहिष्कृत हो जाती है। उनमें किसी भी प्रकरण पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होती है। न ही वह प्रकरण कहीं पंजीबद्ध होता है। गांव के लोग अपने प्रियजनों के शवों का अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि श्मशान घाट में न तो टीन शेड है और न ही चबूतरा। बरसात के मौसम में कभी दाह संस्कार के बीच में ही बरसात होने लगती है तो स्थिति विकट हो जाती है। गांव में कई लोगों के शौचालय बन गए हैं, किंतु पानी की कमी के कारण अथवा पुरानी आदतों के चलते लोग खुले में शौच जाते हैं।

आवागमन की स्थिति - जिला मुख्यालय डूंगरपुर से टेंगरवाड़ा जाने के लिए बिछीवाड़ा तक रोडवेज बस, जीप अथवा निजी साधन मिलते हैं। बिछीवाड़ा से नागफनी की तरफ जाने वाले निजी साधन जैसे जीप मिलते हैं, जो तलैया से आगे टेंगरवाड़ा मोड़ तीन रास्ता पर उतारते हैं। वहां से टेंगरवाड़ा लगभग तीन से चार किलोमीटर दूर है। टेंगरवाड़ा तीन रास्ता मोड़ से टेंगरवाड़ा गांव में जाने-आने के लिए सड़क टूटी-फूटी है। उस पर यातायात का कोई साधन नहीं चलता है, इसलिए पैदल ही आना-जाना पड़ता है। गांव की मुख्य सड़क से गांव के फलों तक जाने आने के लिए कहीं कच्ची सड़क, कहीं ऊबड़-खाबड़ पगडंडी और कहीं-कहीं टूटी-फूटी सीसी सड़क है। गाँव के फलों में लोग दूर-दूर पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। घरों तक आने-जाने के लिए साधन और सड़क के अभाव में सबसे अधिक परेशानी मरीजों गर्भवती माताओं और पढ़ने वाले छोटे बच्चों, विद्यार्थियों को होती है। कभी-

कभी गंभीर मरीजों या प्रसूति माताओं को चिकित्सालय ले जाते समय मुख्य सड़क तक लाने में ही उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति - गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। दोनों विद्यालयो में विद्यार्थियों की संख्या 109 और अध्यापकों की संख्या सिर्फ चार है। गांव के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाता है और बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर बालश्रम में लग जाते हैं। अभिभावक भी इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि बालश्रम से कुछ कमाई होने से घर खर्च चलाने में मदद मिल जाती है। आस-पास के कुछ दलाल लोग बी.टी. कपास आदि में बालश्रम हेतु बालकों को लेकर जाते हैं। कुछ किशोरी बालिकाओं का बाल विवाह हो जाता है और उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है। 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए तलैया जाना पड़ता है, जो लगभग 6-8 किलोमीटर दूर है। आवागमन के साधनों की कमी के कारण अधिकांश विद्यार्थी पैदल ही आते जाते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ने के लिए बिछीवाड़ा और डूंगरपुर जाना पड़ता है। बच्चे सामान्यतः बिछीवाड़ा और डूंगरपुर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। गांव में एक आंगनबाड़ी है। उसके भवन की स्थिति भी जर्जर है। आंगनबाड़ी में पोषाहार समय से नहीं मिलता है। पोषाहार के नाम पर जो आहार मिलता है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। जिसके कारण बच्चे कुपोषण से पीड़ित है। घर पर भी भोजन संतुलित नहीं मिलने से कुपोषण की यह समस्या और बढ़ जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण के लिए भी किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देती है। गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण इलाज करवाने लोगों को 6-8 किलोमीटर दूर तलैया जाना पड़ता है। आवागमन के साधनों की कमी के चलते पैदल अथवा निजी साधनों से जाना-आना होता है। गर्भवती माताओं और गम्भीर मरीजों के लिए जननी एक्सप्रेस या 108 एंबुलेंस को फोन करने पर वह आ जाती है। गम्भीर मरीजों को 108 एंबुलेंस से भी ले जाते हैं। एंबुलेंस गांव की मुख्य सड़क तक ही आ पाती है, जहां से गांव वासियों के घर लगभग 2 से 4 किलोमीटर तक हैं। रास्ते ऊबड़-खाबड़ और पथरीले हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को झोली में डालकर अथवा चारपाई से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है। चिकित्सा में विलम्ब या रक्तस्राव से उनकी मृत्यु होने की सम्भावना रहती है।

गांव की समस्याओं का विवरण-

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी- गांव की भूमि पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। लोगों के पास कृषि भूमि कम है। कुछ भूमि समतल भी है। गांव में समतल और सिंचित भूमि पर काबिज लोग दो फसलें लेते हैं लेकिन असमतल, पथरीली और ऊबड़-खाबड़ तथा असिंचित जमीन पर काबिज लोग किसी तरह से बरसात में होने वाली खेती ही कर पाते हैं। सूखा पड़ने या अधिक बारिश होने पर वह भी बर्बाद हो जाती है। गांव के लोग मुख्य रूप से गेहूं, चना, तुवर और उड़द आदि की खेती करते हैं। अधिकांश लोगों के खेतों में जो अनाज पैदा होता है, वह 4 से 6 महीने खाने भर का ही पैदा हो पाता है। शेष समय के लिए उन्हें अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है। गांव में छोटी-बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर लोगों ने मकान बना रखे हैं। पहाड़ियों पर वर्षा के समय घास और झाड़ियां होती हैं। बाकी समय पहाड़ सूखे ही पड़े रहते हैं। गांव के जल संसाधनों में गांव से लगभग सात किलोमीटर दूर मैस्वो नदी बहती है, लेकिन नदी पर कोई रुकावट नहीं होने से पानी बरसात बाद सूख जाता है।

टेंगरवाड़ा तक मैस्वो नदी से कोई नहर नहीं आती है, जिसके कारण उसके पानी का गांववासी कोई उपयोग नहीं कर पाते है। गांव में एक तालाब है, जिसे टेंगरवाड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है। तालाब में लगभग 7-8 माह ही पानी रहता है। गर्मियों में तालाब का पानी सूख जाता है। गांव में तीन नाले हैं। तीनों में बरसात बाद पानी सूख जाता हैं। लोग नालों में ही खेती करते हैं। गांव में 29 कुँए (तीन सार्वजनिक और शेष निजी) हैं। गांव में नाले पर एक एनिकट बना हुआ है। एनिकट की जर्जर हालत के कारण उसमें पानी नहीं ठहरता है। गांव में 16 हैंडपंप हैं, जिनमें से सिर्फ चार ही ठीक हैं। बाकी 12 हैंडपंप खराब हैं। गांव के लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपने निजी ट्यूबवेल लगवा रखे हैं लेकिन भू-जलस्तर नीचे चले जाने के कारण ट्यूबवेल का पानी गर्मियों के दिनों में सूख जाता है।

कृषि, पशुपालन एवं रोजगार की स्थिति - टेंगरवाड़ा गांव की अधिकांश कृषि भूमि पहाड़ियों की ढलानवाली, ऊबड़-खाबड़ और पथरीली है, जिसमें मात्र बरसात के मौसम में होने वाली एक ही फसल हो पाती है। गांव में कुछ लोगों के पास समतल भूमि है और उस पर सिंचाई की व्यवस्था भी है, जिससे वे लोग दो फसल उगा लेते हैं। कृषि से जो अनाज होता है, वह 4 से 6 महीने खाने भर का ही होता है। शेष समय के लिए उन्हें सरकारी राशन की दुकान टेंगरवाड़ा से अनाज लाना पड़ता है। सामान्यतः फसल में लोग मक्का, गेहूं, धान, तुवर, उड़द और चना आदि उगाते हैं। गांव के लोग खेत की मिट्टी का मृदा परीक्षण नहीं करवाते हैं, जिस कारण उन्हें पता नहीं चलता है कि उनकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या किस फसल के वह योग्य है। उन्नतशील बीज और खाद के अभाव के कारण फसल का उत्पादन कम होता है। टेंगरवाडा गांव में बीटी कॉटन की खेती की जाती है। यह नकदी फसल है। जब शुरुआत में इसे किया गया तब यह फायदे का सौदा रही, लेकिन धीरे-धीरे इस खेती में घाटा होने लगा। क्योंकि बीटी कॉटन को बहुत ज्यादा उर्वरक चाहिए होते हैं। इस कारण लोगों ने अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग शुरू कर दिया था। जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब जमीन इतनी ख़राब हो गयी कि उसमे कोई अन्य फसल मुश्किल से ही हो पाती है। पिछले कुछ वर्षो से बीटी कॉटन की पैदावार में भी कमी आने लगी है किन्तु अधिक मुनाफे के लालच में लोग अपने खेतो का नुकसान कर रहे हैं। गांववासी बकरी गाय बैल और भैंस पालन करते हैं, लेकिन चारे के संकट के कारण पशुपालन करना मुश्किल होता है। गांव में चारागाह की जमीन है, लेकिन चारागाह की जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। जिस कारण पशुओ को खिलाने के लिए चारा कम ही मिल पता है । दूध की समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर लोगो ने बकरियां पाली हैं । पशुपालन में लोगों की रुचि कम है। बैल रखना इसलिए जरूरी है कि जमीन ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है। उस पर ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो सकती है । मार्च के बाद पानी के साथ ही चारे की किल्लत के कारण पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं। गर्मियों में पशुओं के पीने के पानी की समस्या भी एक संकट है। पशु इतने कमजोर हो जाते है कि उनके शरीर कि हड्डिया निकल जाती है। कई बार तेज़ गर्मी और प्यास से भी पशुओ की मौत हो जाती है । कृषि एवं मजदूरी के अतिरिक्त गांव में आजीविका चलाने का अन्य कोई साधन नहीं है। गांव की जमीन ऊबड़-खाबड़, असमतल और पथरीली होने तथा सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से रोजगार के साधन सीमित हैं। टेंगरवाड़ा गांव में मजदूरी के दो ही विकल्प हैं- एक खुली मजदूरी और दूसरा मनरेगा में मजदूरी। टेंगरवाड़ा गांव में मनरेगा में मजदूरी 100 दिन से कम ही मिल पाती है और भुगतान भी सामान्यतः 100 रुपये प्रतिदिन या उससे कम ही होता है। गांव के लोग खुली मजदूरी के लिए आस-पास के गांव में होने वाले निर्माण काम में जाते हैं, या गुजरात के छोटे-मोटे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। वहां पर

भी महीने के मात्र 20 दिन ही काम मिलता है । गांव में जंगल की जमीन है, और लोग लघु वन उपज में सीताफल, टिमरू और कंजरी आदि लाते हैं। सीताफल को यहां के लोग मौसमी खेती की तरह काम में लेते है। वे इसे गुजरात की आइसक्रीम फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। इससे उन्हें अच्छी आय हो जाती है। सीताफल मौसमी फल है। जिस कारण यह उनकी आजीविका का प्रमुख साधन नहीं है ।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - गांव में जमीनी स्तर पर कुछ सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालय बने हैं, लेकिन शौचालय और आवास निर्माण के भुगतान में विलंब होने से परेशानी होती है । कई लोगों ने शौचालय बनवा रखे हैं, किंतु पानी के अभाव में वे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर में शौचालय बने होने के बावजूद उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है। गांव के लोगो का कहना है कि जब यहां पीने के पानी की ही इतनी किल्लत है, तो शौचालय के लिए पानी कहां से आएगा । गांव के कई वृद्ध लोगों, विधवा महिलाओ, विकलांगजनों और अनाथ बच्चो को पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ को मिला था, लेकिन वह रुक गया है। गांव में उज्जवला गैस का सिलेंडर मिल गया है लेकिन इसके खाली होने के बाद फिर से रिफिल करवाना उनके लिए बड़ी समस्या है । लोग कहते है कि जब यहाँ दो वक्त की रोटी का इंतजाम ही मुश्किल से हो पाता है तो रिफिल करवाने के लिए 800 रुपया कहां से लाये । ऐसे में लोग अपने खेतो और जंगल से सूखी लकड़ी जला कर ही खाना बनाने को मजबूर है ।

गांव में उपलब्ध संसाधन उनकी हालत और संभावनाएं -

क्र	संसाधन	संसाधनो की स्थिति	संभावनाएं
1	**जल** नाला तालाब एनीकट कुएं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में एक बड़ा तालाब, एक बड़ा नाला है जिस पर एक एनिकट बना हुआ है। गांव में 29 कुएं, 16 हैंडपंप और बोरवेल हैं। इसके अलावा कई छोटे नाले हैं । बरसात के पानी को रोकने के लिए कोई योजना नहीं होने के कारण गर्मियों में पानी का भयंकर संकट हो जाता है । गांव के तालाब में बरसात के मौसम में पहाड़ियों से बह कर आने वाली मिट्टी और कंकड़ उसकी तलहटी और पैंदे में जमा हो गये हैं, जिस कारण उसकी भराव क्षमता कम हो गयी है। गांव में एक बड़ा नाला बहता है, जो बारिश के बाद भी जनवरी माह तक बहता है। इस पर एनीकट बना है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने के कारण और सही	गांव के बड़े नाले पर सही जगह पर एनिकट बनाना। पुराने एनिकट की मरम्मत करना और ऊंचाई बढ़ाना। जगह-जगह चेकडैम बनाना । गांव के तालाब की मरम्मत और सफाई करके खेतो में खेत तलावडी बना कर पानी को रोकना और घरो में बारिश के पानी को रोकने के लिए टंकियो का निर्माण किया जाये तो गाँव का भू-जलस्तर ऊपर उठेगा। साथ ही पानी की कमी को भी दूर किया जा सकता है । कुओं की मरम्मत और सफाई की जा सकती है, जिनका पानी मीठा और फ्लोराइड मुक्त है । वर्षा जल संरक्षण करके जल संसाधनों को रिचार्ज किया जा सकता है। वर्षा जल संरक्षित करके उसे पीने योग्य बना कर पेयजल के रूप में

		जगह का चयन ना करने के कारण इसका फायदा गांव को नहीं मिल पाता है । एनिकट का पानी फरवरी के अंत तक सूख जाता है । इसमें दरारे भी पड़ गयी हैं, जिस कारण पानी नहीं रुकता है । गांव में बड़े नाले के अतिरिक्त कुछ छोटे नाले हैं। गांव में 29 कुएं हैं और लगभग हर चौथे घर में लोगों ने निजी बोरवेल लगवा रखे हैं। जबकि बिछीवाडा ब्लाक को सरकार के द्वारा पानी के मामले में डार्क जोन घोषित कर दिया गया है । गांव में पीने के पानी की आपूर्ति हैंडपंप और बोरवेल से की जाती है । गांव में 18 हैंडपंप हैं, जिसमे से मात्र 5-6 ही साल भर पानी देते हैं । पीने के पानी के लिए लोग कुओं पर भी निर्भर हैं, जो पहाडियों के नीचे तलहटी में हैं। उनका पानी पीने लायक और फ्लोराइड मुक्त है । गांव का भू-जलस्तर नीचे चला गया है, जिसके कारण गांव के लगभग 60% जल संसाधन गर्मी के दिन में सूख जाते हैं।	उपयोग किया जा सकता है और सिंचाई की भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है ।
2	**जमीन**	गांव का पूरा रकबा 1480 बीघा है, जिसमें कृषि, बिलानाम, चारागाह और जंगल हैं। गांव के चारागाह और बिलानाम जमीन पर लोगो का कब्ज़ा है । टेंगरवाडा पूरा गांव पहाडियों के बीच बसा हुआ है। गांव की ज्यादातर जमीन ऊबड़-खाबड़, पहाडियों की ढलान वाली और असमतल है। कुछ जमीन समतल है । खेती की जमीन पहाड़ियों की ढलान वाली है। मात्र कुछ जमीन पर सिंचाई के साधन हैं। कुछ जमीन ढलान पर होने से जुताई करना और सिंचाई करना बहुत मुश्किल है। सिंचाई के साधनों के अभाव और जमीन ऊबड़-खाबड़ और पथरीली होने से मात्र एक ही फसल हो पाती है । लोगो ने अपने हिस्से की कुछ	ऊबड़-खाबड़ भूमि का समतलीकरण किया जा सकता है। पहाड़ियों की ढलान को सीढ़ीनुमा काटकर खेत बनाकर उन्नत तकनीक का उपयोग कर सिंचाई करके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। नाले और तालाब की उपजाऊ मिट्टी को खेतों में डालना, उन्नत बीज का उपयोग करना, कंपोस्ट खाद का उपयोग करना आदि ऐसे उपाय हैं जिससे जमीन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तालाब की मिट्टी को निकालने से इसकी भी भराव क्षमता बढेगी । खेतो में खेत तलावडी बना कर मछलीपालन किया जा सकता है । आय के लिए कुछ लोगो ने निजी जमीन पर चन्दन के पेड़ लगा रखे है, जिसे बेच कर वे

		जमीन को बीटी कॉटन की खेती के लिए समतल करवाया है । उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं होने से और भूमि की उर्वरता भी कम होने और लागत ज्यादा होने से भी उत्पादन कम ही होता है।	अच्छा पैसा बना लेते हैं ।
3	**जंगल**	जंगल के लिए गांव के लोगो ने वन अधिकार समिति बना रखी है । जंगल पर वन विभाग और गांव का शामिल अधिकार है । गांव की जंगल की जमीन वन विभाग के कब्जे में आने के बाद वे उजड़ गये हैं। कुछ सागवान, कंजरी और टीमरू के पेड़ बचे हैं। आय के लिए लोग सीताफल को बेचते हैं। गाँव को अभी तक वन का पट्टा नहीं मिला है ।	जंगल पर गांव सभा का कब्जा करके वन में फलदार और लघु वन उपज देने वाले वृक्ष लगा कर तथा बरसात के पानी को संरक्षित कर जंगल फिर से हरे भरे किये जा सकते हैं । सागवान, नीम और टिम्बर, आम, आवला, सीताफल आदि पेड़ लगाकर भी लघु वन उपज प्राप्त की जा सकती है।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं, उनके कारण एवं प्रस्तावित समाधान-

क्र.सं.	**समस्याएं**	**सार्वजनिक/ व्यक्तिगत**	**कारण**	**समाधान**	**तात्कालिक/ दीर्घकालिक**
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव पहाडियों पर बसा हुआ है, जिस कारण वहां पक्की सड़क या सी.सी. सड़क बनाना मुश्किल है। गांव की मुख्य सड़क भी बहुत टूटी हुई है । पंचायतीराज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण गुणवत्तापूर्ण सी.सी. सड़कें और कच्ची सड़कें नहीं बनी हैं। मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने से रास्ते बरसात में टूट	रास्ते की समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पंचायत और ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोक कर गुणवत्तापूर्ण एवं मानकों के अनुरूप रास्ता निर्माण करवाना। निर्माण के समय निगरानी रखना। टूटे हुए रास्ते की समय पर मरम्मत करवाना। रास्ते के लिए जमीन	**तात्कालिक**

			जाते हैं और टूटे हुए रास्तों की भी समय-समय पर मरम्मत नहीं होती है । इसके अलावा रास्ता निर्माण के लिए गांववासी जमीन नहीं देते हैं । रास्ते की समस्या के कारण कई बार दुर्घटनायें भी हो जाती हैं। जैसे एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती है तो घाटियों से मरीज को लाते हुए या गर्भवती महिला की प्रसव पीड़ा के कारण ही मृत्यु हो जाती है ।	संबंधी विवाद का शीघ्र निपटारा करना । जहां भी सी.सी. सडको की बहुत ज्यादा जरुरत है, वहां गुणवत्तापूर्ण काम करवाना ।	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गांव के दो स्कूल में मात्र चार ही अध्यापक हैं, जबकि बच्चों की कुल संख्या 100 से अधिक है । अध्यापकों की कमी और अन्य मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पीने का पानी, बैठने के लिए कमरे, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की कमी के कारण विद्यालय में पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। स्कूल का परकोटा नहीं होने से हादसे की आशंका बनी रहती है ।	शिक्षा संबंधी समस्या के समाधान के लिए गांव के लोगों ने गांव सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है कि विद्यालय के संबंध में समस्याओं को गांव विकास नियोजन के प्रस्ताव में शामिल कर पंचायत स्तरीय गांव विकास योजना में शामिल करवा कर उसका क्रियान्वयन करवाएंगे। साथ ही साथ शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को ज्ञापन देकर उस पर संख्या बल द्वारा दबाव बनाकर शिक्षा समस्या हल करवाएंगे।	**तात्कालिक**
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गांव के खेत ऊबड़-खाबड़ और पथरीले, पहाडियों की ढलान वाले ज्यादा हैं। उनमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। परंपरागत तकनीक से लोग खेती करते आ रहे हैं। गांव के किसानों के पास उन्नतशील बीज नहीं है। कंपोस्ट	खेतों का समतलीकरण करके उसमें जैविक खाद, उन्नतशील बीज का उपयोग कर सिंचाई के साधनों का निर्माण कर खेती की आधुनिक तकनीक द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।	**तात्कालिक**

			खाद भी नहीं है । बीटी कॉटन की खेती के कारण भूमि की उर्वरकता खत्म हो गयी है । मिट्टी की जाँच नही करवाना। रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा छिड़काव, खेत तलावडी का महत्व ना देना कई कारणों से कृषि एक बड़ी समस्या बनी है ।		
4	**आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गांव में कई लोगो का पी.एम. आवास योजना में नाम नहीं आया है । गांव के लोग गरीबी के कारण आवास नहीं बनवा पा रहे हैं। आवास योजना में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण मकान बनने के बाद उसके भुगतान के लिए पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसमें अकारण विलंब होता है। शौचालय निर्माण का भुगतान करने में भी विलंब करना । कई लोगो को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओ जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, पालनहार योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ की स्वीकृत होकर बीच में ही बंद हो गई है।	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाकर पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन करके आवास की किस्त का समय पर भुगतान करके और शौचालय का भी समय पर भुगतान करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कुछ लोगों की पेंशन, जिनका बीच में भुगतान रुका हुआ है, उनका प्रकरण देखकर तुरंत उसका समाधान कर भुगतान करवाना।	**तात्कालिक**
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	कुछ गांव वासियों को काबिज भूमि पर खातेदारी का हक मिल गया है, लेकिन अधिकांश लोगों को अपने कब्जे की भूमि का खातेदारी हक नहीं मिला है। विगत कुछ वर्षों से सरकार ने पट्टे देना भी बंद कर दिया है ।	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रकरण तैयार कर दावा करना । पट्टे की पेनाल्टी कोर्ट में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करना क्योंकि पेनाल्टी नहीं देने से	**दीर्घकालिक**

			सरकार की अघोषित नीतियों के कारण काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलने से गांव वासियों के मन में यह भय व्याप्त है कि सरकार कभी भी उनकी जमीन छीन लेगी ।	पट्टा खारिज हो जाएगा। धारा 91 के अनुसार जमीन का नियमन करवाना। गांव सभा द्वारा सब के प्रकरण तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा कर उसकी पैरवी करना।	
6	**जल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गांव में भू-जलस्तर गहराई में चला गया है। गांव के कुछ हैंडपंप के पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि वह सूख गए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि सामान्यतः हैंडपंप की खुदाई बरसात के मौसम में की जाती है। बोर और पाइप कम गहराई तक लगाए जाते हैं, जिससे गर्मी में भू-जलस्तर नीचे चले जाने पर हैंड पंप बंद हो जाते हैं। गांव में बरसात के पानी को रोकने की कोई योजना नहीं होने से तालाब, एनिकट और कुएं गर्मी की शुरूआत में ही सूख जाते हैं । जिससे पीने के पानी का संकट हो जाता है । लोगो को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है । बरसात के बाद ही पानी सूखने लगता है, जिससे सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है ।	पानी की समस्या की पूर्ति हेतु बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगवाना । वर्षा जल संरक्षण की बेहतर योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना । तालाब गहरीकरण, खेत तलावडी निर्माण जैसी योजनाओ को अच्छे से लागू करवाना ।	**तात्कालिक**

संसाधन आकलन व S.W.O.T विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन			
कच्ची सड़क पक्की सड़क सी.सी. सड़क मजदूर मनरेगा	रास्ता बनाते समय जंगल विभाग द्वारा अपनी जमीन बताकर रास्ता निर्माण में बाधा उत्पन्न करना। टूटी सड़कों की सही समय पर मरम्मत न होना। पंचायत का सड़क निर्माण व मरम्मत को लेकर उदासीन होना। भ्रष्टाचार का व्याप्त होना। मानदेय अनुसार व सही समय पर मजदूरी न मिलना। सड़क के लिए जमीन देने में लोगों का आपसी विवाद।	मनरेगा के अंतर्गत ग्रेवल (कच्चे) रास्तों का निर्माण। ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने का अवसर। सरकारी यातायात के साधन चलाने का अवसर। सड़क बनने और यातायात के साधन चलने पर मरीजों को लाने ले जाने और पढ़ने वाले बच्चों को आने-जाने में सुविधा।	जंगल विभाग द्वारा रास्ते के लिए जमीन लेना। गांव सभा को मजबूत बनाना। गांव सभा के माध्यम से गांव वासियों को एकत्रित कर शासन पर दबाव बनाना। रास्ता निर्माण में पंचायत की उदासीनता और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटना। निगरानी समिति द्वारा गांव में बनने वाले रास्ते की निगरानी करना और गांव सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देना।
जल -			
कुएं हैंडपंप नाले नदी तालाब एनिकट बोरवेल	बारिश का पानी संग्रहित करने की किसी भी योजना का न होना। एनिकट का गुणवत्तापूर्ण निर्माण न होना, जिससे नदी का पानी उसमें से पानी रिस कर निकल जाना।	मनरेगा के तहत तालाब, कुएं, एनिकट निर्माण व मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। बोरवेल पर नियंत्रण के नियम बनाये जा सकते हैं। बारिश का पानी रोकने	पंचायत को जल संग्रहण के प्रति जागरूक करना। लोगों में बारिश के पानी को इकठ्ठा करने की जागरूकता पैदा करना। गांव सभा मजबूत करना। विभिन्न जल सम्बन्धित विभागों में व्याप्त

	नाले, कुओं, हैंडपंप में पानी सूख जाना।	की योजना बनाई जा सकती है। कुएं, हैंडपंप में पानी रीचार्ज किया जा सकता है। तालाब निर्माण किया जा सकता है।	लापरवाही दूर करना।
आजीविका संवर्धन			
कृषि भूमि चारागाह मजदूरी मनरेगा सब्जी की खेती पशुपालन	कृषि भूमि का अधिकतर पथरीली व ऊबड़-खाबड़ होना। सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि का न होना। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा न होना। मनरेगा के प्रति लोगों का उदासीन होना। सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होना। कृषि, बागवानी और पशुपालन की आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं होना। पशुपालन में उन्नत नस्ल के पशुओं का अभाव। खेती में उन्नतशील बीज का अभाव। जंगल को पुनर्जीवित करने की योजना का अभाव। आजीविका संवर्धन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी	सरकार द्वारा आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर आजीविका संवर्धन। किसान हेल्प सेंटर से मदद प्राप्त करना। मिट्टी परीक्षण करवाकर जलवायु और मिट्टी के अनुकूल फसल लेना। भूमि समतलीकरण व भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह जमीन का विकास कर चारा उगाया जा सकता है। छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी या मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। एनिकट, तालाब में मछलीपालन किया जा सकता है। सब्जी की खेती की जा सकती है। मनरेगा के कार्यों की सामूहिक योजना बनाई जा सकती है।	मनरेगा को मूल रूप में लागू करवाना। रोजगार की समस्या पर गांव सभा में चर्चा करना। पंचायत व मेट के भ्रष्टाचार को रोकना। गांव सभा को मजबूत करना। बैंक से आजीविका संवर्धन के लिए ऋण लेने में भ्रष्टाचार रोकना सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को हटाना।

	का अभाव और उनके संचालन में लापरवाही और भ्रष्टाचार होना।		
भूमि			
बिलानाम जमीन वन जमीन	बिलानाम भूमि अधिकार पत्र न मिलना। जंगल पर वन विभाग का कब्ज़ा होना। वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई करना। वन समिति का वन के प्रति उदासीन होना।	बिलानाम भूमि के पट्टे के मांग की योजना बनाई जा सकती है। वन समिति द्वारा वन प्रबंधन की योजना बनाना। लघु वन उपज व फलदार पौधे लगाना। सामूहिक वन दावा लगाया जा सकता है।	बिलानाम भूमि व वन दावे के लिए सामूहिक मांग की योजना बनाना। वन समिति व गांव सभा को मजबूत करना। लोगों को वन संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूक करना।

नजरिया नक्शा -

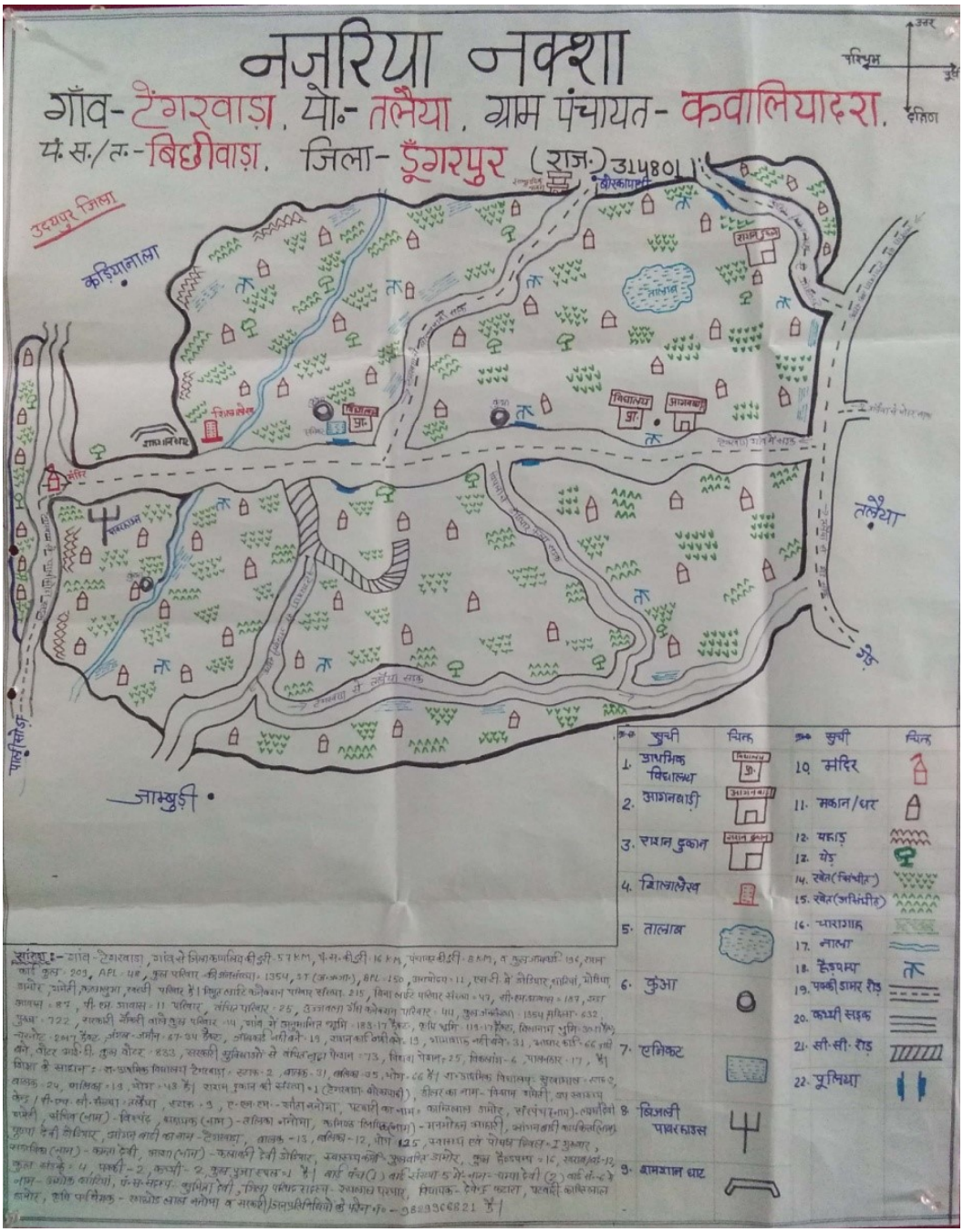

नजरिया नक्शा टेंगरवाड़ा

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के संबंध में	
	वृद्धा पेंशन	30
	विधवा पेंशन	6
	विकलांग पेंशन	5
	पालनहार योजना 0 से 5 वर्ष	4
	पालनहार योजना 6 से 18 वर्ष	20
2	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना	47
	प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना बकाया किस्त भुगतान	9
3	शौचालय के संबंध में नए आवेदन	26
	शौचालय के संबंध में बकाया भुगतान	4
4	**स्कूल के संबंध में** • राजकीय प्राथमिक टेंगरवाड़ा में 4 अध्यापकों की नियुक्ति • राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूखामाल 3 अध्यापकों की नियुक्ति • राजकीय प्राथमिक टेंगरवाड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूखामाल कमरों की मरम्मत • राजकीय प्राथमिक टेंगरवाड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूखामाल 3+3 कमरों का निर्माण • राजकीय प्राथमिक टेंगरवाड़ा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूखामाल पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था आर. ओ. लगवाना • राजकीय प्राथमिक विद्यालय सूखामाल शौचालय का निर्माण	2
5	उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए जमीन हकरा कान्हा घटिया दे रहे हैं	1
6	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जमीन छबिलाल मरता डोडियार दे रहे हैं	1
7	आंगनबाड़ी के संबंध में राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेंगरवाड़ा के पास स्थित आंगनबाड़ी भवन जर्जर अवस्था में है उसका पुनः निर्माण	1
8	नई आंगनबाड़ी के संबंध में जमीन नानालाल घना डामोर उपलब्ध करवाएंगे जिस पर भवन निर्माण करना है नई आंगनवाड़ी के लिए जमीन राजेश छबिलाल डोडियार उपलब्ध कराएंगे जिस पर	2

	भवन निर्माण किया जाए	
9	राशन दुकान के संबंध में राशन दुकान जो अभी किराए के भवन में चल रही है उसके लिए भवन निर्माण	1
10	रास्तानिर्माण के संबंध में कच्ची सड़क सीसी सड़क डामरीकरण सड़क	3
11	तालाब का गहरीकरण और रिंग वाल निर्माण	1
12	नए हैंडपंप लगाने	25
	पुराने हैंडपंप की मरम्मत	2
13	पक्के चेक डैम निर्माण के संबंध में	27
14	कच्चे चेकडैम निर्माण के संबंध में	24
15	एनीकट निर्माण के संबंध में सरवानिया नाले पर एनीकट निर्माण जिसके लिए सुरेश घना डामोर अपनी जमीन देने को तैयार है खसरा नंबर 998	1
16	कैटिगरी 4 के काम का	46
17	वृक्षारोपण के संबंध में	14
18	वन भूमि पर गांव सभा के द्वारा सामुदायिक वन दावा किया जाए और उसकी पैरवी	1
19	काबिज भूमि पर गांव सभा द्वारा व्यक्तिगत दावा और उसकी पैरवी की जाए	1
20	श्मशान घाट के संबंध में श्मशान घाट के चारों ओर परकोटा निर्माण	1
21	सामाजिक विवाद का निपटारा गांव सभा द्वारा ग्राम सभा में किया जाए	1
22	सामाजिक कुरीतियों पर गांव सभा के द्वारा रोक लगाने के संबंध में बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक डायन प्रथा पर रोक मौताणा प्रथा पर रोक	1

दिनांक 29-8-2018

सेवामें,

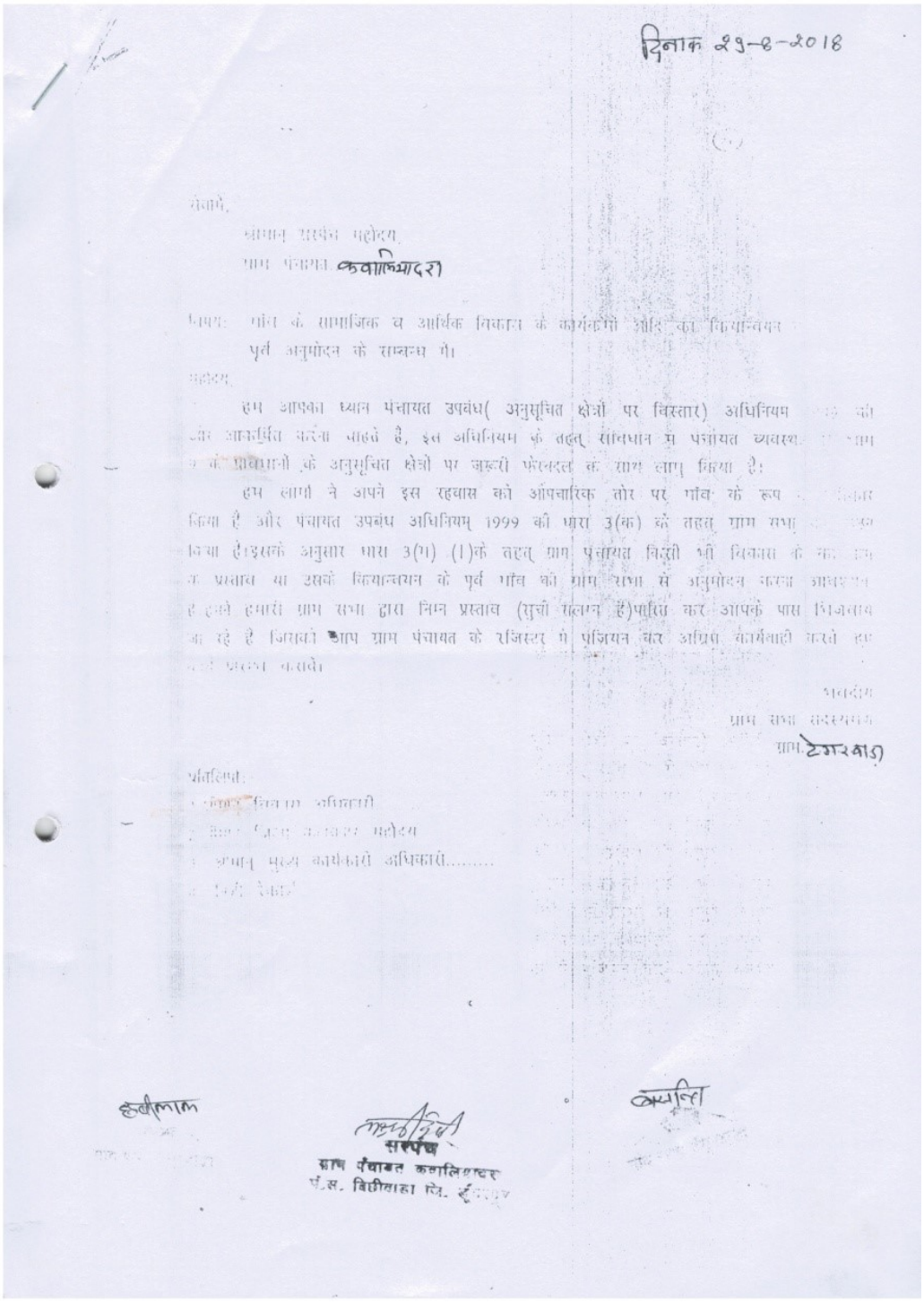

श्रीमान सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत कवालियादरा

विषय: गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वियन पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम [illegible] की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था [illegible] भाग [illegible] के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागू किया है:

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गांव के रूप [illegible] किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा [illegible] किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के [illegible] के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है इसे हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न हैं)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए [illegible] करावे।

भवदीय

ग्राम सभा सदस्यगण

ग्राम टेमरवाडा

प्रतिलिपि:

1. [illegible] विकास अधिकारी
2. [illegible] जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. [illegible]

हरिलाल

सरपंच
ग्राम पंचायत कवालियादरा
पं.स. [illegible] जि. [illegible]

कवरिंग लेटर

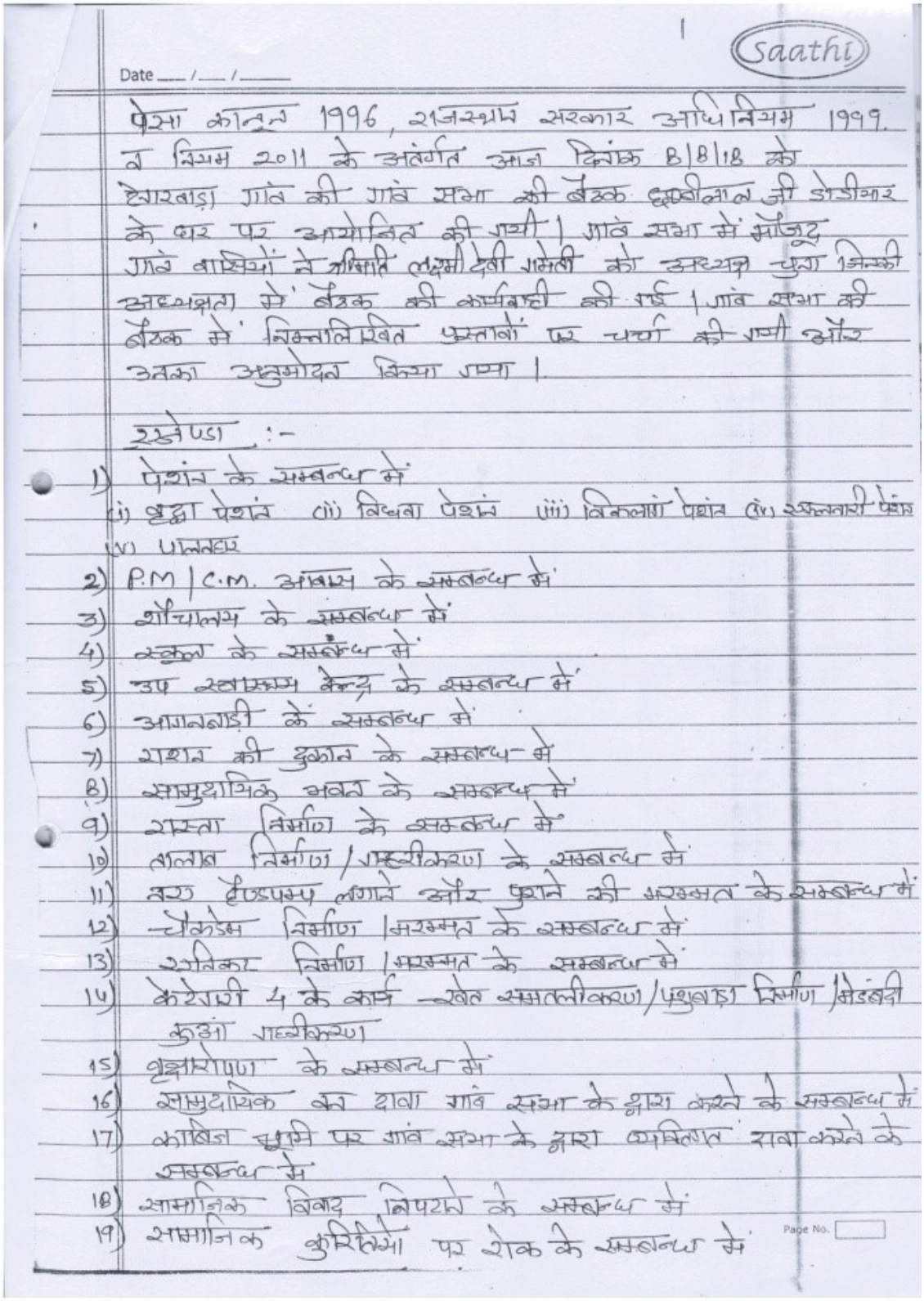

1 Saathi

Date ___ /___ /______

पेसा कानून 1996, राजस्थान सरकार अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अंतर्गत आज दिनांक 8/8/18 को हेमारवाड़ा गांव की गांव सभा की बैठक छगनलाल जी डोडीयार के घर पर आयोजित की गयी। गांव सभा में मौजूद गांव वासियों ने सर्वसम्मति लक्ष्मी देवी गमेती को अध्यक्ष चुना जिनकी अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा :-

1) पेंशन के सम्बन्ध में
(i) वृद्धा पेंशन (ii) विधवा पेंशन (iii) विकलांग पेंशन (iv) एकलनारी पेंशन
(v) प्यावलाल
2) P.M / C.M. आवास के सम्बन्ध में
3) शौचालय के सम्बन्ध में
4) स्कूल के सम्बन्ध में
5) उप स्वास्थ्य केन्द्र के सम्बन्ध में
6) आंगनवाड़ी के सम्बन्ध में
7) राशन की दुकान के सम्बन्ध में
8) सामुदायिक भवन के सम्बन्ध में
9) रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
10) तालाब निर्माण / गहरीकरण के सम्बन्ध में
11) नए हैण्डपम्प लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में
12) चैकडेम निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध में
13) रपटा/रतिका निर्माण / मरम्मत के सम्बन्ध में
14) केटेगरी 4 के कार्य - खेत समतलीकरण / पशुबाड़ा निर्माण / मेडबंदी कुआं गहरीकरण
15) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
16) सामुदायिक वन दावा गांव सभा के द्वारा करने के सम्बन्ध में
17) काबिज भूमि पर गांव सभा के द्वारा व्यक्तिगत दावा करने के सम्बन्ध में
18) सामाजिक विवाद निपटाने के सम्बन्ध में
19) सामाजिक कुरितियां पर रोक के सम्बन्ध में

Page No.

प्रस्ताव प्रथम पृष्ठ

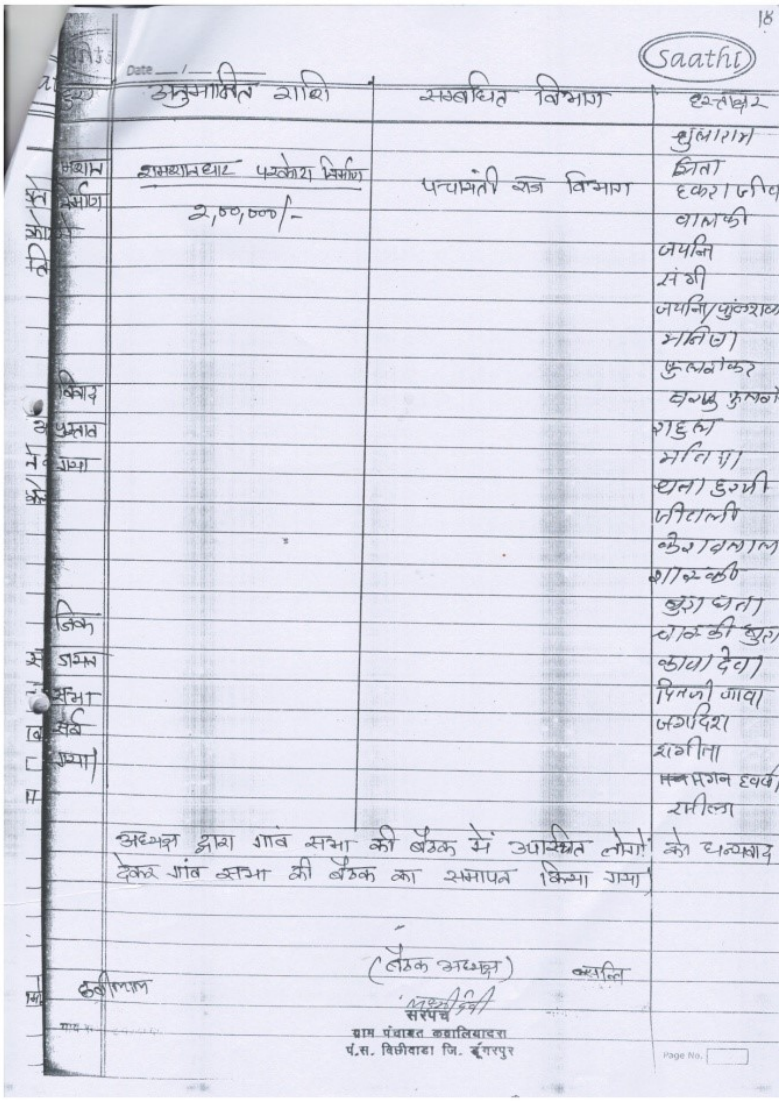

प्रस्ताव अंतिम पृष्ठ

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.)

	नाम	**फोन न.**
1.	छविलाल डोडियार	8107285105
2.	रमेश डोडिया	9001752003
3.	जीवा घाटीया	8290297563
4.	सोमा गमेती	8890752073
5.	सुरेश धन्ना डामोर	9602477597
6.	बाबू कोदर डामोर	8290295895